पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Tornado in Delhi

10245. DR. RAMJI SINGH: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the Government are aware of the report that the recent tornado in Delhi could not have been possible without energy from nuclear fission or fusion;

(b) is it a fact that Shri S. K. Trikha of Delhi University, Physics Department, found radio-activity 50 per cent higher than normal background level at the site of devastation;

(c) is it a fact that no radio-activity is found in tornado; and

(d) will the Government set up a committee of technical experts to enquire into the causes of this tornado?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) to (c). There is a newspaper report that Shri S. K. Trikha carried out a radio-activity survey of the area affected by the tornado 25 hours after occurence and found the radio-activity to be 1½ times higher than the normal back-ground level. Meteorologists do not hold the view that tornadoes are not possible without energy from nuclear fission or fusion. No report that tornadoes are caused only by nuclear fission or fusion is found in meteorological literature.

(d) Government have no such proposal.

बिड़ला उद्योग समूह पर करों की बकाया राशि की जांच

10246. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला उद्योग समूह की करों की बकाया राशि की जांच किस प्रकार की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये उनकी लेखा-पुस्तकों की जांच करने तथा फिर तत्संबंधी तुलन-पत्रों को सभा-पटल पर रखने का है; और

(ग) उन राजनैतिक दलों तथा नेताओं के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1973–76 के दौरान बिड़ला उद्योग समूह ने चन्दे दिये तथा कितनी राशि के चन्दे दिए; और क्या उक्त जानकारी सभा पटल पर रखने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह): (क) कलकत्ता तथा बम्बई में बिरला समूह के कर-निर्धारितियों के मामले आय-कर आयुक्त (सेण्ट्रल) के अधीन रखे गये हैं ताकि कर-निर्धारणों और करों की वसूली पर उचित निगरानी रखी जा सके । दूसरे स्थानों पर भी, इन मामलों को वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य-भार में रखा गया है ।

कर की बकाया रकमों को प्रत्येक मामले में आगे ले जाया जाता है । जो वर्ष में जारी की गई मांग का, ऐसी मांग के प्रति अदा किये गये कर का और अदा नहीं की गई शेष रकम का समुचित रूप से मिलान करने के पश्चात् किया जाता है ।

(ख) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, बिरला समूह से सम्बंधित मामले, विस्तृत जांच-पड़ताल के प्रयोजनार्थ, इस समय आय-कर अधिकारियों (केन्द्रीय अधिकार-क्षेत्र) अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, बिरला समूह से संबंधित आय-कर के मामलों को तथा इस किस्म के अन्य मामलों को देखने के लिए एक विशेष कक्ष बना दिया गया है ।

तुलन-पत्र सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं, और वे कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और इसलिए इन्हें सभा-पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले दानों का तुलन-पत्रों में हमेशा उल्लेख रहता है और बिरला समूह द्वारा वर्ष 1973–76 में किये गये दान विविध कम्पनियों के तुलन-पत्र की मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध हैं ।